बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 27 मार्च, 1981 ई०

विषय-सूची।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—39, 40 एवं 41	1—13
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—8, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1257, 1258, 1291, 1316, 1320, 1323, 1324, 1348, 1349, 1357, 1362, 1373.	13—38
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	39—84
दैनिक निबंध :	85—86

टिप्पणी—किन्हीं माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं।

काम लिया गया तथा उन्हें कुल 565-80 पैसे का भुगतान किया गया। श्री वृजनन्दन प्रसाद सिंह आजाद, कनीय अभियंता द्वारा मजदूरों को लगाया गया था जिसकी जांच श्री गंगा विष्णु शर्मा, सहायक अभियंता द्वारा की गयी थी।

(3) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

कटाव की रोकथाम

1370. श्री रामेश्वर सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बछवारा प्रखंड के चमथा ग्राम में गंगा नदी कटाव जारी है यदि हां तो क्या सरकार कटाव रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सदानन्द सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है। कटाव रोकने के लिए अभी कोई योजना नहीं है, परन्तु इस कटाव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जायेगा। एवं यदि इसकी आवश्यकता महसूस की गई तो निधी की उपलब्धता के अनुसार तथा तकनिकी स्वीकृति के पश्चात आगे की कार्रवाई की जायेगी।

स्लूईस गेट का निर्माण

1381. श्री मांगन इन्सान—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कदवा विधान सभा क्षेत्र में महानन्दा नदी के किनारे पर तटबंध का काम पूरा हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्लूईस गेट का निर्माण नहीं होने के कारण वर्षा के पानी से फसल दह जाती है तथा पानी का स्वभाविक रास्ता बंद होने से दूसरी तरफ सुखाड़ हो जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बहरखाल, बलतर, जिगिन नाला, मौलानापुर, शिकारपुर, बिभाड़ा, कुमड़ी, सागरथ, कबोरा, देगांव, हुरा हजरा, योरला, गायघट्टा टूटा स्थानों पर सुईस गेट का निर्माण करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

श्री सदानन्द सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) आवश्यक सर्वेक्षण के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जायेगी।

नाली का प्रबंध

1386. श्री बालिक राम—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत लीलाजन नहर के वगाही ब्रांच में दक्षिण खाप गांव के नजदीक बेला गांव के जमीन की सिंचाई के लिए आउटलेट बैठाया हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि नहर से लेकर बेला तक पानी जाने के लिए नाली (करहा) नहीं बना हुआ है;

(3) क्या यह बात सही है कि नाली के अभाव में पानी बेला गांव तक नहीं पहुँच पाती है;

(4) क्या यह बात सही है कि बेला गांव के किसानों को प्रतिवर्ष सिंचाई रेन्ट देना पड़ता है;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेला गांव तक नहर की नाली का प्रबंध करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, और नहीं तो क्यों ?

डा० जगन्नाथ मिश्र—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) नहर से ग्रामाश्रोत कुछ दूर तक बना हुआ है और पानी आहर होकर बेला गांव के जमीन की सिंचाई होती है।

(3) उत्तर नकारात्मक है।

(4) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(5) नहर का सुधार विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है जिसमें बेला ग्रामाश्रोत का भी प्राक्कलन एक माह के अन्दर समर्पित होने की संभावना है। निधी उपलब्ध होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकता है।